न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –47/2018 (अपील)

1. रमेश जलखेर आत्मज श्री लक्ष्मीचंद जलखैर, जाति तम्बोली, निवासी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलांट

बनाम

1. राधाकिशन आत्मज श्री नारायण, जाति मीना, निवासी ग्राम चेचट, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान–

1/1. देव बाई पत्नि मृतक स्व0 राधाकिशन मीना

1/2. रामदुलारी पुत्री मृतक स्व0 राधाकिशन मीना,

1/3. भैरूलाल पुत्र मृतक स्व0 राधाकिशन मीना

निवासीगण ग्राम चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी निर्णय दिनांक 30.5.2018 मिसल नम्बर 18/2017 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी अन्तर्गत धारा 183–बी रा.का. अधि.

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में प्रकरण सं0 18/2017 में दिनांक 30.05.2018 को पारित निर्णय "प्रार्थी राजस्थान की अनु0 जन जाति वर्ग से सम्बन्धित है । अतः विवादित आराजी ख0नं0 444 रकबा 0.71 हे0 ग्राम चेचट में अप्रार्थी को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है ।" बाबत आदेश पारित किया गया ।

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता से यह अपील दिनांक 18.06.2018 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भलीभांति साबित था कि रेस्पोडेन्ट /प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि का खनन व समपार्श्विक प्रयोजनार्थ रजिस्टर्ड सहमति–पत्र अपीलांट के पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय चेचट में पंजीबद्व करवाया गया है और प्रार्थी उक्त दस्तावेज के आधार पर ही नियमानुसार उक्त भूमि पर पूर्णतया वैद्यरूप से काबिज है । प्रार्थी का कब्जा पूर्णतया अनुज्ञात्मक है जो किसी भी प्रकार से अतिचार की परिभाषा में नहीं आता है, किंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण तथ्य व कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर मनमर्जी पूर्वक ही रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत तथ्य था कि विवादित भूमि के सहमति पत्र व समर्पण के सम्बन्ध में सक्षम सिविल

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सिविल जज रामगंजमण्डी जिला कोटा के यहां एक नियमित वाद विचाराधीन है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183–बी के तहत भी प्रार्थी /रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र में भी पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के खनन व सम्पार्श्विक प्रयोजनार्थ रजिस्टर्ड सहमति पत्र का विवाद ही पक्षकारान के मध्य मुख्य सारभूत विवाद है और जब उक्त विवाद के सम्बन्ध में सक्षम सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो उक्त विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक अपीलांट को विवादित भूमि पर अतिक्रमी नहीं माना जा सकता । विवादित भूमि अपीलांट के लीज क्षत्र में है, जिस पर अपीलांट पूर्णतया वैद्य रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है और उक्त भूमि से अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखल नहीं किया जा सकता और ना ही लीज क्षैत्र की भूमि के सम्बन्ध में धारा 183–बी की कार्यवाही मेन्टेनेबल है, । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी का आदेश जेर अपील दिनांक 30.5.2018 निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । वकील उभयक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों के तथ्यों को दौहराते हुए जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भलीभांति साबित था कि रेस्पोडेन्ट /प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि का खनन व समपार्श्विक प्रयोजनार्थ रजिस्टर्ड सहमति–पत्र अपीलांट के पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय चेचट में पंजीबद्व करवाया गया है और प्रार्थी उक्त दस्तावेज के आधार पर ही नियमानुसार उक्त भूमि पर पूर्णतया वैद्यरूप से काबिज है । प्रार्थी का कब्जा पूर्णतया अनुज्ञात्मक है जो किसी भी प्रकार से अतिचार की परिभाषा में नहीं आता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण तथ्य व कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर मनमर्जी पूर्वक ही रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत तथ्य था कि विवादित भूमि के सहमति पत्र व समर्पण के सम्बन्ध में सक्षम सिविल न्यायालय सिविल जज रामगंजमण्डी जिला कोटा के यहां एक नियमित वाद विचाराधीन है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183–बी के तहत भी प्रार्थी /रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र में भी पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के खनन व सम्पार्श्विक प्रयोजनार्थ रजिस्टर्ड सहमति पत्र का विवाद ही पक्षकारान के मध्य मुख्य सारभूत विवाद है और जब उक्त विवाद के सम्बन्ध में सक्षम सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो उक्त विवाद का निस्तारण नहीं होजाता तब तक अपीलांट को विवादित भूमि पर अतिक्रमी नहीं माना जा सकता । विवादित भूमि अपीलांट के लीज क्षत्र में है, जिस पर अपीलांट पूर्णतया वैद्य रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है और उक्त भूमि से अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखल नहीं किया जा सकता और ना ही लीज क्षैत्र की भूमि के सम्बन्ध में धारा 183–बी की कार्यवाही मेन्टेनेबल है ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट रमेश जलखरे को उनकी खातेदारी भूमि ख0नं0 444 रकबा 0.71 हे0

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

भूमि केवल खनन कार्य हेतु लीज पर दी थी, किन्तु लीज का कुल एरिया 90 हजार वर्गमीटर में से अपीलांट द्वारा दिनांक 18.1.2010 को खनिज विभाग में आवेदन कर उक्त लीज क्षैत्र में से 50 हजार वर्गमीटर भूमि सरेण्डर करने से अब लीज एरिया 40 हजार वर्गमीटर ही रह गया है, जिससे रेस्पोडेन्ट की भूमि ख0नं0 444 रकबा 0.71 हे0 उक्त लीज एरिया में नहीं है, अर्थात इस भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जा सकता है, किन्तु अपीलांट मेरी खातेदारी भूमि पर काबिज है जो एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है । प्रार्थी रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी का स्वीकार किया जाकर मुझ अनुसूचित जन जाति वर्ग की भूमि पर अप्रार्थी अपीलांट कब्जा मानते हुए बेदखली का आदेश किया गया है, वह न्यायसंगत है, इसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 30.5.2018 अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट 1955 के विरूद्व दिनांक 18.6.2019 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि ग्राम चेचट के ख0 नं0 444 रकबा 0.71 हे0 रेस्पोडेन्ट द्वारा खनन कार्य हेतु रजिस्टर्ड सहमति पत्र के आधार पर दी गई थी, जिस आधार पर वह काबिज है । हमने विवादित भूमि के सम्बन्ध में खनिज विभाग से उक्त भूमि ख0नं0 444 रकबा 0.71 हे0 के लीज क्षैत्र आदि की रिपोर्ट प्राप्त की जाने से जाहिर होता है कि अपीलांट की लीज एम एल नम्बर 52 /1988 क्षैत्र 4.00 हे0 होकर दिनांक 19.8.2040 तक प्रभावशील है किन्तु इस स्वीकृत लीजक्षैत्र में रेस्पोडेन्ट की ग्राम चेचट स्थित भूमि ख0नं0 444 रकबा 0.71 हे0 नहीं आती है । खनिज विभाग की रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि पर केवल खनन कार्य हेतु रजिस्टर्ड सहमति पत्र से दी गई थी, जब रेस्पोडेन्ट की भूमि अपीलांट के लीज एरिया से ही बाहर है तो वह खनन कार्य हेतु उपयोग में नहीं ली जा सकेगी, ऐसी स्थिति में अपीलांट का अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि पर काबिज रहना वैधानिक नहीं है । अतः तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर जबरन कब्जा मानते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बेदखली के आदेश दिये गये है जिसमें कोई दोष प्रतीत नहीं होता है, जिस कारण हम तहसीलदार द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.5.2018 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.05.2018 अन्तर्गत धारा 183–बी आर0टी0एक्ट यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर,
कोटा

Scanned by CamScanner